अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

प्रशान्त कुमार बनाम मैनपाल आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट — प्रकरण संख्या 187/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
01.08.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 86/82 के ख.नं. 239 की 2.6940 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 11/09/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
1/9/23	पत्रावली पेश हुई श्री ... सा. ... पत्रावली दि० 26/9/23 को पेश हो	
26/9/23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं, प्रार्थी के अधिवक्ता ... उसकी ओर से ... अतः अदम पैरवी ... अनुसार प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ... निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नकल से कम होकर बाद तामील अभिलेख दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:57:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर